राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि.

रजि. कार्यालयः डी–ब्लॉक, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर

GSTIN- 08AAFCR2824M1Z3

फोन नः 0141–2228060–61, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : edf-rmsc-rj@nic.in

CIN: U24232RJ2011SGC035067 Website : rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ.9 ( )/आरएमएससी/भण्डार/सफाई/2026–27/ 896 दिनांकः 22/01/2026

ई–निविदा सूचना

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि. के नवीन कार्यालय भवन परिसर के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं पुराने भवन के ग्राउण्ड फ्लोर की एक वर्ष के लिए सफाई कार्य हेतु इस क्षेत्र में कार्य करने वाली फर्मों/संस्थाओं से सीलबन्द लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं:–

क्र. सं.	विवरण	अनुमानित राशि (₹ लाखों में)	बोली प्रतिभूति (bid security) (₹ लाखों में)	ई–निविदा प्रपत्र शुल्क (₹)	RISL प्रोसेसिंग फीस (₹)	ई–निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारम्भ तिथि एवं समय	प्रि–बिड मीटिंग की तिथि व समय	ई–निविदा प्रपत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करने एवं विक्रय की अंतिम तिथि एवं समय	ई–निविदा के दस्तावेज कार्यालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय	ई–निविदा प्रपत्र (तकनीकी बिड) खोलने की तिथि एवं समय
1.	निगम मुख्यालय भवन परिसर की सफाई कार्य व्यवस्था कार्य का क्षेत्रफल 61000 वर्गफीट एवं 8000 वर्गफीट कुल 69000 वर्गफीट	19.00	38000/–	1180.00 (1000+18% GST)	590.00 (with GST)	22.01.26 02.00 PM	27.01.26 03.30 PM	02.02.26 06.00 PM	02.02.26 06.00 PM	03.02.26 05.00 PM

ई–निविदा प्रपत्र वेबसाईट "http://eproc.rajasthan.gov.in" से डाउनलोड किया जा सकता है एवं वेबसाईट "www.dipronline.org", **sppp**.rajasthan.gov.in एवं rmsc.health.rajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। ई–निविदा ऑनलाईन इलेक्ट्रोनिक्स फोरमेट में वेबसाईट "http://eproc.rajasthan.gov.in" पर ही प्रस्तुत की जाएगी। (UBN No-) **ई–निविदा प्रपत्र शुल्क राशि Rs.1180.00** (1000+18%GST)**, बोली प्रतिभूति राशि Rs.38000/– का डी.डी./बी.सी. MD, RMSC के नाम से एवं RISLप्रोसेसिंग फीस राशि Rs. 590.00** (500+18%GST) **का डी.डी./बी.सी. MD,RISL के नाम से दिनांक 02.02.2026 समय सायं 06.00 बजे तक निगम कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक है।**

विशेषाधिकारी
आरएमएससी

Signature valid
Digitally signed by J... Singh
Designation: Exec... e Director
Date: 2026.0... 2... :52:36 IST
Reason: Appro...

Rajkaj Ref No.: 20070474
eSign 1.0

ई–निविदा एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने का तरीका :–

1. निविदादाता द्वारा ई–निविदाएँ ऑनलाईन ई–प्रोक्यूरमेंट की वेबसाईट पर प्रस्तुत की जाएगी। प्रथम लिफाफा **प्रपत्र 'अ' तकनीकी निविदा (प्री–क्वालिफिकेशन)** तथा वित्तीय निविदा ऑनलाईन BOQ में प्रेषित करनी होगी।
2. तकनीकी ई–निविदा में निम्न प्रपत्र रखे जाएँगे :–
   - I. अनुभव प्रमाण–पत्र
   - II. टर्न ओवर का चार्टेड अकाउन्टेन्ट (सनदी लेखाकार) का प्रमाण–पत्र या अन्य संबंधित साक्ष्य
   - III. बोली प्रतिभूति राशि रू. 38000/– का एवं ई–निविदा प्रपत्र शुल्क राशि रू. 1180/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक (बोली प्रतिभूति के अभाव में निविदा पर कोई विचार नहीं किया जाएगा)
   - IV. मूल ई–निविदा प्रपत्र एवं शर्तें परिशिष्ट–ए जिसके प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर हों।
   - V. श्रम विभाग, पी.एफ. विभाग एवं ई.एस.आई. विभाग के पंजीयन प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ तथा जीएसटी पंजीकृत प्रमाण–पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
   - VI. सफाई उपकरणों एवं सामग्री का विवरण।
3. **वित्तीय निविदा** (BOQ) ऑनलाईन प्रस्तुत करनी होगी जिसमें निविदादाता को अपनी मासिक दर अंको एवं शब्दो में स्पष्ट रूप से अंकित करनी होगी। शब्दों एवं अंकों में उल्लेखित राशि में अन्तर होने पर दोनों में से जो राशि कम होगी उस पर विचार किया जाएगा।

Signature valid
Digitally signed by J[illegible]singh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2026.0[illegible]2[illegible]:52:36 IST
Reason: Appro[illegible]

RajRaj Ref No.: 20070474
eSign 1.0

अनुमानित लागतः राशि रू. 19.00 लाख
बोली प्रतिभूतिः राशि रू. 38000.00
अंतिम तिथिः .....

ई–निविदा – प्रपत्र 'अ' तकनीकी निविदा

कार्य का नामः– वित्तीय वर्ष 2026–27 के 12 माह हेतु आरएमएससी कार्यालय में सफाई कार्य

1. निविदादाता फर्म का नाम व पूर्ण पताः–
   .....
   .....
   .....
2. निविदा सूचना क्रमांक ..... दिनांक .....
3. निविदा शुल्क राशि 1180/– जमा कराने का विवरणः–
   डीडी/बैकर चैक संख्या ..... दिनांक.....
4. निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 02.02.2026 समय सायं 6.00 बजे तक।
   निविदा खोले जाने की दिनांक 03.02.2026 समय सायं 5.00 बजे
5. अमानत राशि 38000/– जमा कराने का विवरणः–
   डी.डी/बैंकर चैक सं0..... दिनांक .....
6. श्रम विभाग में पंजीयन क्रमांक.....
7. जीएसटी पंजीकरण संख्या .....
8. पेन संख्या .....
9. बैंक खाते का विवरण ... संलग्न करें।
10. कार्य अनुभव का विवरण एवं उपलब्ध उपकरणों का विवरण :–.....
    .....
    .....

मुझे इस ई–निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न समस्त शर्तें मंजूर है।

हस्ताक्षर निविदादाता
निविदादाता का नाम
एवं पूर्ण पता

Signature valid
Digitally signed by J...singh
Designation: Exec...e Director
Date: 2026.0...:52:36 IST
Reason: Appro...

RajRaj Ref No.: 20070474
eSign 1.0

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि. कार्यालय के सम्पूर्ण क्षेत्र में सफाई कार्य के लिऐ निविदा की शर्तें एवं नियम

निविदादाता को निम्नलिखित शर्तों को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए एवं अपनी निविदा भरते समय पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए :–

(अ) निविदादाता की पात्रता (Eligiblity Criteria) जो अनिवार्य है एवं जिनके अभाव में निविदा निरस्त मानी जा सकेगी– निम्न प्रकार है:–

1. निविदादाता फर्म श्रम विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए तथा निविदा प्रपत्र के साथ पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी अनिवार्य है।
2. निविदादाता फर्म पी.एफ. विभाग एवं ई.एस.आई. विभाग में पंजीकृत होनी चाहिए तथा निविदा प्रपत्र के साथ सम्बन्धित पंजीयन प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जानी अनिवार्य है।
3. निविदादाता फर्म को चिकित्सालय, राजकीय, अर्द्धशासकीय भवनों, बहुमंजिला इमारतों, शॉपिंग मॉल, होटल या संस्थागत भवन में कम से कम 21,000 वर्ग फीट क्षेत्र का संतोषप्रद सफाई कार्य कराने का न्यूनतम तीन वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। निविदा के साथ अनुभव प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. निविदादाता फर्म का गत तीन वर्ष की अवधि में कम से कम औसत रू. 15.00 लाख प्रति वर्ष का टर्न ओवर होना आवश्यक है। पुष्टि के लिए गत तीन वर्ष के टर्न ओवर का चार्टेड अकाउन्टेन्ट (सनदी लेखाकार) का प्रमाण पत्र या अन्य सम्बन्धित साक्ष्य निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है। प्रपत्र ''स'' के निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी।
5. निविदादाता को अमानत (बोली प्रतिभूति) राशि के रूप में राशि रू. 38000/– (अक्षरे रू. अड़तीस हजार मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक जो राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन, जयपुर के नाम देय हो, निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
6. निविदादाता के पास सफाई कार्य के लिए कम से कम तीन उपकरण **(यथा– वेट एण्ड ड्राई स्कबर, कॉमर्शियल वैक्यूम क्लीनर तथा हाई प्रेशर टॉयलेट क्लिनिंग मशीन)** उपलब्ध होने चाहिये साथ ही उक्त उपकरणों की पुष्टि हेतु क्रय किये गये बिलों की छाया प्रति संलग्न करनी आवश्यक है। अन्यथा निविदा पर विचार नही किया जाएगा।
7. दो या दो से अधिक फर्मों की समान दर होने पर, जिस फर्म का टर्न ऑवर अधिक होगा, को वरियता दी जाएगी
8. निविदा राशि मय समस्त उपकरणों एवं सफाई सामग्री की लागत सहित प्रस्तुत करनी होगी।

उक्त पात्रता पूरी करने वाले योग्य निविदादाता ही तकनीकी निविदा (प्रि–क्वालीफिकेशन) में सफल माने जाएँगे तथा उन्ही की वित्तीय ई–निविदा फर्म के प्रतिनिधि के समक्ष ऑनलाईन खोली जाएगी। तकनीकी निविदा (प्री–क्वालीफिकेशन) मे योग्य नही पाए जाने वाले निविदादाताओं को वित्तीय ई–निविदा नहीं खोली जा सकेगी।

Signature valid
Digitally signed by J... Singh
Designation: Exec... e Director
Date: 2026.0... 2... :52:36 IST
Reason: Appro...

(ब) कार्य सम्बन्धित विवरण एवं शर्तेः–

1. निविदादाता को सफाई के लिए निम्नांकित उपकरणों एवं सफाई की सामग्री का उपयोग करना होगा :–

क्र. सं.	नाम उपकरण	न्यूनतम मात्रा
	उपकरण	
1	वेट एण्ड ड्राई स्कबर	01
2	कॉमर्शियल वैक्यूम क्लीनर	01
3	हाई प्रेशर टॉयलेट क्लिनिंग मशीन	01

क्र. सं.	नाम उपकरण	न्यूनतम मात्रा
	सामग्री का विवरण जो सफाई में उपयोग होगी	
1	लिक्विड सोप	आवश्यकतानुसार
2	एसिड	आवश्यकतानुसार
3	हारपिक	आवश्यकतानुसार
4	टॉयलेट साफ करने के लिए ब्रुश	आवश्यकतानुसार
5	जूना	आवश्यकतानुसार
6	पोचा/सन, पोचा कोटन	आवश्यकतानुसार
7	जोन साफ करने का बाँस	आवश्यकतानुसार
8	फिनायल	आवश्यकतानुसार
9	झाड़ू	आवश्यकतानुसार
10	फिनायल की गोलियां	आवश्यकतानुसार
11	ओडोनिल	आवश्यकतानुसार
12	रूम स्प्रे	आवश्यकतानुसार
13	ब्रासो	आवश्यकतानुसार
14	कोलिन	आवश्यकतानुसार
15	फिनीट	आवश्यकतानुसार
16	अन्य सामग्री	आवश्यकतानुसार

Signature valid
Digitally signed by J...ingh
Designation: Exec...e Director
Date: 2026.0...2...:52:36 IST
Reason: Appro...

RajKaj Ref No.: 20070474
eSign 1.0

2. राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि. के नवीन भवन के तीनों तल सहित समस्त गलियारों (Corridors) एवं प्रथम तल, ग्राउण्ड फ्लोर एवं बेसमेंट व आस–पास के क्षेत्र की सफाई करनी होगी। इसमें से तीनों तल के गलियारों व कमरों का लगभग 61000 वर्गफीट क्षेत्रफल तथा पुराने भवन के ग्राउण्ड फ्लोर जिसमें आरएमएससी की क्यू.सी. शाखा संचालित है, का लगभग 8000 वर्गफीट क्षेत्रफल प्रतिदिन तीन बार सफाई करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए आरएमएससी कार्यालय के नवीन भवन का समय में मौका स्थिति मुआयना किया जा सकता है तथा विशेषाधिकारी से अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सफाई Sweepers द्वारा की जाएगी।
3. राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लि. के नवीन भवन एवं पुराने भवन के ग्राउण्ड फ्लोर के समस्त कमरो की दिन में दो बार सफाई करनी होगी।
4. राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन भवन के समस्त शौचालयों, मूत्रालयों, स्नानघरों एवं वाशवेसिनों तथा सिंकों की सफाई एवं धुलाई फिनायल से दिन में तीन बार करवानी होगी। सभी शौचालयों, मूत्रालयों एवं वाशवेसिनों में फिनायल की गोलियां हर समय उपलब्ध करानी होगी। समय–समय पर निविदादाता को ऑडोनिल का प्रयोग करना होगा। साथ ही निगम प्रशासन द्वारा निर्देशित स्थानों पर सुगन्धित द्रव्यों को इस्तेमाल भी करना होगा।
5. निविदादाता को समस्त, सफाईकर्मी, सफाई में प्रयुक्त होने वाला सामान एवं उपकरण अपने स्तर से आपूर्ति करने होंगे एवं जिसकी निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। इन पर होने वाला समस्त व्यय निविदादाता अपने स्तर से वहन करेगा तथा निगम द्वारा अनुमोदित दरों के अलावा अन्य किसी प्रकार का भुगतान निविदादाता को नहीं किया जाएगा।
6. सफाई के कार्य क्षेत्र का निरीक्षण कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को किया जा सकता है। निरीक्षण के दौरान सफाई में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाने पर या समय पर सफाई नहीं होने पर राशि रू. 1000/– (अक्षरे राशि रू. एक हजार मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से कटौती करते हुए मासिक बिल का भुगतान किया जाएगा। किन्तु माह में तीन दिवस से अधिक शिकायत प्राप्त होने पर बिना किसी नोटिस के अनुबन्ध समाप्त किया जा सकेगा एवं निगम में जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
7. सफाई से एकत्रित कचरे को कचरा डिपों पर स्वयं की कचरा गाड़ी के द्वारा पहुँचाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।

Signature valid
Digitally signed by J[illegible]ingh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2026.0[illegible]:52:36 IST
Reason: Appro[illegible]

RajKaj Ref No.: 20070474
eSign 1.0

8. सप्ताह में कम से कम एक बार राजकीय अवकाश के दिन सम्पूर्ण आरएमएससी भवन की deep cleaning करनी आवश्यक होगी। डीप क्लीनिंग नही किये जाने पर नियमानुसार देय भुगतान में आनुपातिक (माह के दिवस में भाग दिया जाकर) राशि की कटौति करते हुए भुगतान किया जाएगा।

(स) सामान्य नियम एवं शर्तेः–

1. अनुबन्ध की अवधि कार्यादेश स्वीकृति की तिथि से एक वर्ष तक के लिए मान्य होगी। निविदादाता का कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29(2)(झ) के अनुसार दर संविदा में अधिकतम 03 माह के लिए अभिवृद्धि की जा सकती है।
2. अनुबन्ध अनुमोदन होने पर अनुबन्धकर्ता द्वारा राशि रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर 03 दिवस की अवधि में अनुबन्ध प्रस्तुत करना होगा जिसका समस्त व्यय अनुबन्धकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा। सफल निविदादाता को अनुबन्ध की राशि की 5 प्रतिशत (एमएसएमई फर्मो से नियमानुसार) राशि प्रतिभूति के रूप में डी.डी./बैंकर चैक प्रस्तुत करनी होगी। धरोहर राशि को प्रतिभूति राशि में समायोजित किया जा सकेगा। निगम द्वारा प्रतिभूति राशि पर फर्म को कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।
3. निविदादाता के किसी कर्मकार द्वारा कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने/अवांछित गतिविधियों में लिप्त पाए जाने अथवा अनपेक्षित आचरण करने संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर अथवा अन्य किसी माध्यम से निगम के ध्यान में आने पर यदि निगम प्रशासन उस कर्मकार को हटाने के निर्देश अनुबन्धकर्ता को देता है तो अनुबन्धकर्ता द्वारा उस कर्मकार को तुरन्त हटाना होगा।
4. इस कार्य हेतु श्रम विभाग/राज्य सरकार के प्रावधानों के तहत् कोई लाईसेन्स अथवा अनुमति पत्र लेना आवश्यक हो तो वह अनुबन्धकर्ता स्वयं के खर्च पर प्राप्त कर प्रस्तुत करेगा। अनुबन्धकर्ता को अपने कर्मकारों के कार्य दिवस, कार्य के घण्टे, दिये गये पारिश्रमिक इत्यादि की श्रम विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्रों में सूचना व अन्य समस्त प्रकार के रिकार्ड को तैयार करने एवं तदुपरान्त सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी तथा किसी भी अधिकारी के माँगे जाने पर प्रस्तुत करनी होगी।
5. श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनायें आदि में दिए गए दिशा निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। श्रम विधि नियम, उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिये अनुबन्धकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। अनुबन्धकर्ता को श्रम विधि नियम, उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित में जारी किये गए संशोधनों की पालना करने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा। पालना नहीं करने की स्थिति में प्रबन्ध निदेशक को अनुबन्ध निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

Signature valid
Digitally signed by J...singh
Designation: Exec...e Director
Date: 2026.0...:52:36 IST
Reason: Appro...

RajKaj Ref No.: 20070474
eSign 1.0

6. यदि अनुबन्धकर्ता के किसी कृत्य या अकृत्य से व्यथित होकर कोई कर्मकार न्यायालय में अनुतोष पाने हेतु कार्यवाही करता है और इसमें निगम प्रशासन को भी पक्षकार बनाता है तो निगम पर पड़ने वाला समस्त आर्थिक भार अनुबन्धकर्ता से वसूला जाएगा।
7. यदि अनुबन्धकर्ता/निविदादाता एवं उनके सफाई श्रमिकों के मध्य कोई विवाद होता है तो उसकी जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इस संबंध में निगम प्रशासन का कोई दायित्व नहीं होगा। नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में निहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिको को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छँटनी, मुआवजा आदि देने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।
8. अनुबन्धकर्ता द्वारा सफाई कार्य हेतु आपूर्ति किये जाने वाले श्रमिको की किसी भी कारण तथा कार्य के समय व कार्य समय के उपरांत मृत्यु हो जाती है या किसी भी रूप में अथवा दुर्घटना में घायल/अपंग हो जाता है तो उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने की समस्त जिम्मेदारी व दायित्व अनुबन्धकर्ता की होगी। इसके लिए निगम प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
9. अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध का संचालन स्वयं को ही करना होगा। वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को अनुबन्ध सबलेट नहीं करेगा। सबलेट करने की स्थिति में अनुबन्ध तुरन्त प्रभाव से समाप्त माना जायेगा।
10. अनुबन्धकर्ता द्वारा सफाई कार्य में लगाए जाने वाले सफाई श्रमिकों की सूची, उनके पासपोर्ट साईज फोटो सहित प्रस्तुत करनी होगी। इनके आचरण एवं उसके द्वारा किए गए कार्य के लिए पूर्ण रूप से अनुबन्धकर्ता जिम्मेदार होगा। इन कर्मचारियों के पुलिस वेरीफिकेशन कराने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी। अनुबन्धकर्ता को अपने कर्मचारियों को वर्दी जिस पर फर्म का नाम अंकित होगा ड्यूटी के दौरान पहननी होगी व पहचान/परिचय पत्र एवं नेम प्लेट उपलब्ध कराने होंगे। यदि कोई कर्मचारी निरीक्षण के दौरान बिना वर्दी या परिचय पत्र के पाया जाएगा तो प्रतिदिन राशि रू. 100/– की दर से शास्ति वसूल की जा सकेगी।
11. अनुबन्धकर्ता द्वारा कार्य बीच में छोड़ने पर या उसका कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति में शर्त संख्या (ब)(6) के अनुसार अनुबन्धकर्ता को स्वीकृत अनुबन्ध निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा तथा कार्य संतोषप्रद नही होने की स्थिति अनुबन्धकर्ता को लिखित में सूचित किया जाएगा जिसका समाधान तुरन्त प्रभाव से करना होगा अन्यथा की स्थिति में फर्म को ब्लेक लिस्ट किया जा सकता है।
12. निगम प्रशासन द्वारा अनुबन्ध से संबंधित कोई भी सूचना अनुबन्धकर्ता से कभी भी प्राप्त की जा सकेगी इस हेतु अनुबन्धकर्ता को अनुबन्ध स्थल पर स्वयं की अनुपस्थिति में किसी अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों को नामजद करना होगा जो कि अनुबन्धकर्ता के नाम से जारी पत्रों को प्राप्त करने एवं वांछित सूचना उपलब्ध कराने के लिए अधिकृत एवं उत्तरदायी हो। अधिकृत व्यक्ति राउण्ड दॉ क्लॉक संबंधित प्रभारी अधिकारी के संपर्क में रहेगा एवं निगम प्रशासन के द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए उत्तरदायी होगा।

Signature valid
Digitally signed by J[illegible]ingh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2026.0[illegible]2[illegible]:52:36 IST
Reason: Appro[illegible]

13. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर प्रबन्ध निदेशक का निर्णय अन्तिम होगा व अनुबन्धकर्ता को मानना होगा।
14. उक्त ई–निविदा को बिना कारण बताए निरस्त/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक को होगा।
15. सफाई श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करने तथा उनके पी.एफ. व ई.एस.आई. का अंशदान संबंधित विभागों में जमा कराने की पूर्ण जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।
16. सफाई श्रमिकों के ई.पी.एफ. विभाग में पंजीकृत होने एवं उनके यूनिक आई.डी. नम्बर प्राप्त करने का दायित्व अनुबन्धकर्ता का होगा।
17. सफाई श्रमिकों के ई.पी.एफ. व ई.एस.आई. विभाग में जमा होने वाले अंशदान की सूचना मासिक/त्रैमासिक आधार पर निगम को उपलब्ध करानी होगी।
18. **वित्तीय बोलियों में अंक गणितीय त्रुटियों का सुधार** –बोली मूल्यांकन समिति निम्नलिखित आधार पर सारभूत रूप से प्रत्युत्तरदायी बोलियों में अंक गणितीय त्रुटियों का सुधार करेगी, अर्थात्:–

    (क) इकाई मूल्य और कुल मूल्य, जो इकाई मूल्य और मात्रा को गुणा करने पर प्राप्त होता है के मध्य यदि कोई विसंगति हो तो इकाई मूल्य अभिभावी होगा और कुल मूल्य में सुधार किया जायेगा, जब तक कि बोली मूल्यांकन समिति की राय में इकाई मूल्य में दशमलव बिन्दु की स्थिति में स्पष्ट गलती रह गयी है, ऐसे मामले में उत्कथित कुल मूल्य प्रभावी होगा और इकाई मूल्य में सुधार किया जायेगा;

    (ख) यदि योग के घटकों को जोड़ने या घटाने के कारण योग में त्रुटि रह गयी है तो घटक अभिभावी होंगे और योग में सुधार किया जायेगा; और

    (ग) यदि शब्दों और अंकों के मध्य कोई विसंगति है तो शब्दों में व्यक्त की गयी रकम तब तक अभिभावी होगी जब तक कि शब्दों में अभिव्यक्त रकम कोई अंक गणितीय त्रुटि से संबंधित न हो, ऐसे मामले में उपर्युक्त खण्ड(क)और(ख)के अध्यधीन रहते हुए अंको में अभिव्यक्त रकम अभिभावीहोगी।

19. **सत्य निष्ठा संहिता** –उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्ति,–

    (क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

    (ख) सूचना का ऐसा दुर्व्य पदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

    (ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा।

Signature valid
Digitally signed by J[illegible]singh
Designation: Executive Director
Date: 2026.0[illegible]:52:36 IST
Reason: Approved

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्ष कार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीडन में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखा परीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध,यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी भी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वारा किसी विवर्जन को प्रकट करेगा।

20. हित का विरोध –

(1) किसी उपापन संस्था या उसके कार्मिकों और बोली लगाने वालों के लिए हित का विरोध ऐसी स्थिति को माना गया है जिसमें एक पक्षकार के ऐसे हित हों जो उस पक्षकार के पदीय कर्तव्यों या उत्तरदायित्वों, संविदागत बाध्यताओं के पालन, या लाग विधियों और विनियमों के अनुपालन को अनुचित रूप से प्रभावित कर सकता हो।

(2) उन स्थितियों में, जिन में उपापन संस्था या उसके कार्मिक हितों के विरोध में समझे जायेंगे, निम्नलिखित सम्मिलित है, किन्तु उन तक सीमित नहीं है:–

(क) हित का विरोधत बघटित होता है जब उपापन संस्था के किसी कार्मिक का निजी हित, जैसे कि बाह्य अनैतिक या अन्य संबंध या व्यक्तिगत वित्तीय आस्तियां, उपापन पदाधिकारी के रूप में उसके अनैतिक कर्तव्यों या बाध्यताओं का समुचित पालन करने में हस्तक्षेप करते हों या हस्तक्षेप करते हुए प्रतीत होते हों।

(ख) उपापन परिवेश में उपापन संस्था के किसी कार्मिक का ऐसा निजी हित, जैसे कि उपापन संस्था की सेवा में रहते हुए व्यक्तिगत विनिधान और आस्तियां, राजनैतिक या अन्य बाह्यक्रियाकलाप ओर सम्बन्धताएं, उपापन संस्था की सेवा से सेवा विनिधान के पश्चात नियोजन या उपहार की प्राप्ति, जो उसे बाध्यता की स्थिति में रखता हो, हित में विरोध उत्पन्न कर सकेगा।

(ग) हित के विरोध में उपापन संस्था की मानवीय, वित्तीय और भौतिक आस्तियों सहित आस्तियों का उपयोग, या व्यक्तिगत फायदे के लिए उपापन संस्था के कार्यालय या पदीय कर्तव्यों से अर्जित ज्ञान का उपयोग, या किसी ऐसे व्यक्ति की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डालना सम्मिलित है जिसका उपापन संस्था का कार्मिक पक्ष नहीं लेता है।

Signature valid
Digitally signed by J[illegible]ingh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2026.0[illegible]:52:36 IST
Reason: Appro[illegible]

Rajkaj Ref No.: 20070474
eSign 1.0

(घ) हित का विरोध ऐसी स्थितियों में भी उत्पन्न हो सकता है जहॉ उपापन संस्था का कार्मिक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कुटुम्ब, मित्रों या किसी ऐसे व्यक्ति जिसका वह पक्ष लेता है, सहित किसी तृतीय पक्षकार को उपापन संस्था के कार्मिकों की कार्रवाईयों या विनिश्चय से फायदा पहुंचाते हुए देखा जाता है या उन्हें उस में सम्मिलित करता है।

(3) कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्ष कारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित हैं किन्तु इन तक सीमित नहीं है यदि,–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उन में से किसी से, कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते हैं या प्राप्त की है;

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय पक्षकारों के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ङ) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नहीं करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नहीं लेता है।

या

21. (च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्हीं व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषय वस्तु के डिजाइन या तकनी की विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्रारूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये हैं, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नही संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है।**उपापन प्रक्रिया के दौरान शिकायतों का निस्तारण** –प्रथम अपील प्राधिकारी विशिष्ठ शासन सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान एवं द्वितीय अपील प्राधिकारी शासन प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान व अध्यक्ष, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है।

Signature valid
Digitally signed by J[illegible]ingh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2026.0[illegible]2[illegible]:52:36 IST
Reason: Appro[illegible]

1 **अपीलः**–(1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 40 के अध्यधीन रहते हुए, यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था का कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी निर्देशों या मार्गदर्शन के उपबंधों के उल्लघंन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को,जिसे इस प्रयोजन के लिए पदाभिहित किया जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर वह व्यथित है, स्पष्ट रूप से देते हुए, ऐसे विनिश्चय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारीख से दस दिनक की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्टीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्द की जाये, के भीतर संलग्न प्रारूप **(प्रपत्र–'र')** में अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु बोली लगााने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात् अपील केवल उस बोली लगााने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिससे उपापन कार्यवाहियों में भाग लिया है।

परन्तु यह और कि ऐसी दशा में, जहाँ उपापन संस्था वित्तीय बोली को खोलने से पूर्व तकनीकी बोली का मूल्यांकन करती है वहाँ वित्तीय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

(2) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धान्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धों का पालन किया है या नहीं, और तद्नुसार आदेश पारित करेगा जो उप–धारा (5) के अधीन पारित आदेश के अध्यधीन रहते हुए अंतिम होगा और अपील के पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(3) अधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) के अधीन अपील दाखिल की गई है, अपील पर यथा सम्भव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।

Signature valid
Digitally signed by J[illegible]singh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2026.0[illegible]:52:36 IST
Reason: Appro[illegible]

(4) यदि उप–धारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त उप–धारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या, यथास्थिति, उपापन संस्था, उप–धारा (3) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान से या, यथास्थिति, उप–धारा (2) के अधीन पारित आदेश की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदाभिहित किसी अधिकरी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।

(5) उप–धारा (4) के अधीन अपील की प्राप्ति पर उक्त उप–धारा के अधीन पदाभिहित अधिकारी या प्राधिकारी पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात् यह अवधारित करेगा कि क्या उपापन संस्था ने इस अधिनियम, इसके अधीन बनाए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धन्तों के उपबंधों और पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों के निबन्धनों का पालन किया है या नहीं, और तदनुसार आदेश पारित करेगा जो अंतिम होगा और अपील के पक्षकरों पर बाध्यकारी होगा।

(6) अधिकारी या प्राधिकारी जिसके समक्ष अपील उप–धारा (4) के अधीन दाखिल की गई है, यथा–सम्भव शीघ्र अपील पर विचार करेगा और अपील के दाखिल करने की तारीख से तीस दिवस के भीतर–भीतर इसे निपटाने के लिए प्रयास करेगा।

परन्तु यदि अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (4) के अधीन अपील दाखिल की गई है, पूर्वोक्त अवधि के भीतर अपील को निपटाने में असमर्थ रहता है तो वह इसके लिए कारण अभिलिखित करेगा।

(7) अधिकारी या प्राधिकारी, जिसके समक्ष उप–धारा (1) और (4) के अधीन अपील दाखिल की जा सकेगी को, पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों , बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या, यथास्थिति, बोली दस्तावेजों में उपदर्शित किया जाएगा।

(8) उप–धारा (1) और (4) के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे प्रारूप में और ऐसी रीती से दाखिल होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी जो विहित की जाएँ।

(9) इस धारा के अधीन अपील की सुनवाई के समय संबंधित अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रक्रिया–नियमों का अनुसरण करेगा जो विहित किए जाएँ।

Signature valid
Digitally signed by J[illegible]ingh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2026.0[illegible]2[illegible]:52:36 IST
Reason: Appro[illegible]

(10) कोई भी ऐसी सूचना, जो भारत के आवश्यक सुरक्षा हितों के संरक्षण का ह्रास करेगी या जो विधि के प्रवर्तन या उचित प्रतियोगिता में अड़चन डालेगी या बोली लगाने वाले या उपापन संस्था के विधि सम्मत वाणिज्यिक हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी, इस धारा के अधीन की किसी कार्यवाही में प्रकट नहीं की जाएगी।

22. **अपील का प्रारूप –** (1) राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप (प्रपत्र –'श') में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी हैं।

(2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

(1)अपील फाइल करने के लिए फीस – (i) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रुपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रुपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(ii) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक के बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

23. **अपील के निपटारे की प्रक्रिया –** (1) प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी,–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगा; और

(ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

Signature valid
Digitally signed by J[illegible]ingh
Designation: Exec[illegible]e Director
Date: 2026.0[illegible]2[illegible]:52:36 IST
Reason: Appro[illegible]

24.यदि किसी निविदादाता को पूर्व में किसी भी विभाग, राजकीय उपक्रम, बोर्ड, निगम इत्यादि द्वारा ब्लेक लिस्ट किया गया है या अनुबन्ध अवधि पूर्ण नहीं की गई है तो वह उक्त निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होगा। यदि फिर भी किसी फर्म द्वारा निविदा में भाग लिया जाता है तो उसकी निविदा को निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। प्रपत्र "द" के निर्धारित प्रारूप में राशि रू. 50/– नोन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करनी होगी।

(द) भुगतान का तरीका :–

1. अनुबन्धकर्ता को भुगतान निगम से RTGS/NEFT से किया जाएगा।
2. जितने क्षेत्र में सफाई कार्य नहीं होगा उस क्षेत्र की बिल से आनुपातिक कटौती कर भुगतान किया जाएगा।
3. स्त्रोत पर नियमानुसार आयकर की कटौती की जाएगी।

विशेषाधिकारी, आरएमएससी

मैंने/हमने उपर्युक्तानुसार अ से द तक में वर्णित सभी शर्तों को भली–भाँति पढ़ एवं समझ लिया है। मैं/हम उपर्युक्त वर्णित सभी शर्तों की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है।

हस्ताक्षर निविदादाता एवं नाम

Signature valid
Digitally signed by J... Singh
Designation: Exec...e Director
Date: 2026.0...2...:52:36 IST
Reason: Appro...

निविदा – प्रपत्र 'ब' (वित्तीय निविदा)

BOQ Format

कार्य का नामः– वित्तीय वर्ष 2026–27 के 12 माह हेतु आरएमएससी कार्यालय में सफाई कार्य

आरएमएससी कार्यालय सम्पूर्ण क्षेत्र में सफाई कार्य के लिये वित्तीय निविदा।

नोट– सफाई कार्य का लगभग कुल क्षेत्रफल 69000 वर्गफीट है। सफाई कार्य की दरे प्रति वर्गफीट के अनुसार मांगी गई। जिसमें सफाई कार्मिको का मानदेय एवं सफाई में काम आने वाले समस्त प्रकार के उपकरण तथा उपलब्ध करवाई जाने वाली सामग्री की दरे समाहित होगी। पृथक से किसी भी प्रकार का भुगतान देय नहीं होगा।

वित्तीय निविदा

क्र. सं.	कुल सफाई क्षेत्रफल	निविदादाता द्वारा प्रस्तुत बैसिक दर प्रति वर्गफीट	जीएसटी	कुल दर प्रति वर्गफीट जीएसटी सहित	अक्षरे राशि रू.
1	2	3	4	5	6
1	69000 वर्गफीट (61000 नवीन भवन एवं 8000 पुराने भवन)				

नोट :– 1. निविदादाता द्वारा **निर्धारित प्रपत्र (BOQ) में वित्तीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा** अन्यथा निविदा मान्य नही होगी।

2. निर्धारित प्रपत्र (BOQ) के कॉलम संख्या 3 एवं 4 आवेदक द्वारा भरे जाने है।

हस्ताक्षर निविदादाता
निविदादाता का नाम
एवं पूर्ण पता

Signature valid
Digitally signed by J... Singh
Designation: Exec... e Director
Date: 2026.0... 2... :52:36 IST
Reason: Appro...

RajKaj Ref No.: 20070474
eSign 1.0

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म मैसर्स .....का विगत तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है। फर्म की विगत तीन वर्षों की Audited Balance Sheet/Profit and Loss A/Cसंलग्न है।

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रू. लाखों में)
1	2021–22	
2	2022–23	
3	2023–24	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

अथवा

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	टर्न ओवर (राशि रू. लाखों में)
1	2022–23	
2	2023–24	
3	2024–25	
	कुल टर्न ओवर	
	औसत टर्न ओवर	

दिनांक

अंकेक्षक/सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण संख्या

Signature valid
Digitally signed by J... Singh
Designation: Executive Director
Date: 2026.0...2...:52:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20070474
eSign 1.0

प्रपत्र –'द'

ई–निविदादाता द्वारा घोषणा राशि रू. 50/– नोन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करनी होगी।

ई–निविदादाता द्वारा घोषणा प्रारूप

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमारे द्वारा कार्याल भवन परिसर की सफाई व्यवस्था का कार्य करने हेतु विगत 3 वर्षो में आपूर्तित कार्मिको के कार्य के लिए सतोंषप्रद कार्य नहीं करने होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है। यदि उक्त तथ्य गलत पाया जाता है, तो संबंधित विभाग हमारे विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर हमारी जमा प्रतिभूति राशि जब्त कर ब्लेकलिस्ट करने की कार्यवाही कर सकता है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हम किसी भी न्यायालय में सेवा प्रदायगी में Defaulter का कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

ई–निविदादाता के हस्ताक्षर

Signature valid
Digitally signed by J... Singh
Designation: Exec...e Director
Date: 2026.0...2...:52:36 IST
Reason: Appro...

प्रपत्र 'ङ'

FORM NO. 1 [See rule 53 of RTPP]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No.....of.....

Before the..... [First/Second Appellate Authority]

1. Particulars of appellant:

   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official Address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent (S):

   (i)

   (ii)

   (iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Ground of appeal:

   .....

   .....

   .....(Supported by an affidavit)

7. Prayer:

   .....

   .....

Place ..... Date

.....

Appellant's Signature

Signature valid

Digitally signed by J...singh
Designation: Exec...e Director
Date: 2026.0...2...:52:36 IST
Reason: Appro...

Rajkaj Ref No.: 20070474

eSign 1.0